राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, उ०प्र० शासन
द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश
एवं
राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संस्थान, भारत सरकार,
आई०एस०ई०टी० अमेरिका तथा
गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप, गोरखपुर
के संयुक्त तत्वाधान में
जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, गोरखपुर

द्वारा जारी

आपदा न्यूनीकरण हेतु

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत्

विभिन्न विभागों की भूमिका

मार्गदर्शिका

वर्ष २०१३ — २०१४

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

आपदा न्यूनीकरण में विभिन्न विभागों की भूमिका

समस्त विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाने वाली सामान्य तैयारियां :–

1. आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया हेतु एक नोडल अधिकारी राज्य स्तर पर नियुक्त करना जो राजस्व विभाग के सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ।
2. विभाग राज्य, जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर संगठन के भीतर आपाकालीन केन्द्र के साथ दोतरफा बाधारहित संचार की स्थापना सुनिश्चित करेगा।
3. आपातकालीन स्थिति में विभाग, जिला स्तर पर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।
4. आपातकालीन स्थिति में शीघ्र प्रतिक्रिया हेतु एक नोडल अधिकारी जिला, तहसील और ब्लाक स्तर पर नियुक्त करना।
5. राज्य स्तर पर बाढ़ आने से एक महीना पहले सभी जिला, तहसील तथा ब्लाक स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करना।
6. राज्य/जिला/तहसील/ब्लाक स्तर पर आपदा के दौरान/पश्चात् एवं पूर्व विभाग द्वारा क्या कार्य किये गये कितनी राहत सामग्री, राहत राशि प्रभावित व्यक्तियों की संख्या आदि विवरण वर्षवार एकत्रित कर विभाग स्तर पर डाटा बैंक स्थापित किया जाना सुनिश्चित हो।
7. आपदा के पश्चात् विभाग स्तर पर एक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित कर विभाग द्वारा किये गये कार्यों की निष्पक्ष समीक्षा करें जिससे कि आगामी वर्षो की योजना का निर्माण एवं कार्यो में सहयोग प्राप्त हो सके।

आपदा प्रबंधन में वन विभाग की भूमिका

1. वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना।
2. पौध का प्रावधान करना तथा उन्हें वृक्षारोपण के लिये प्रोत्साहित करना। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नष्ट हुये पेड़ों को पुनः उगाने हेतु पौध के प्रावधान के लिये नर्सरी का बढ़ावा देना।
3. आपात स्थिति में सुरक्षा हेतु पेड़ों और जंगलों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिये आई0ई0सी0 गतिविधियों के द्वारा अधिक जागरूकता फैलाना।
4. वृक्षारोपण, संरक्षण तथा अन्य वन संरक्षण पुनर्जीवन और बहाली गतिविधियों हेतु समुदाय, गैर सरकारी संगठन और सी0बी0ओ0 की अधिक से अधिक भागीदारी करना।
5. आपदा के दौरान पशुओं हेतु जगंल में चारागाहों की पहचान करना सामुदाय को जानकारी देना।
6. शीतलहर के दौरान सूखे, पेड़ पौधों की पहचान करना तथा अलाव हेतु उपयोग करना
7. तटबंधों या जलाशयों के किनारे वृक्षारोपण करना।
8. सूखे क्षेत्रों हेतु कम पानी वाले वृक्षों को बढ़ावा देना।

आपदा प्रबंधन में पंचायतीराज की भूमिका

रोकथाम और शमन रणनीतियों का विकास करना तथा इन रणनीतियों को सामुदायिक स्तर पर जोखिम में कमी के लिये निम्नलिखित रूप से पालन करना :–

1. पंचायत स्तर पर इमरजेंसी टास्क फोर्स गठित करना।
2. चूने गये प्रतिनिधियों को आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देना।
3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा बाढ़ आपदा के पूर्व और आपदा के दौरान महत्वपूर्ण "क्या करें क्या न करें" बताना।
4. निरंतर मॉकड्रिल आयोजित करना।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5. ग्राम आपदा प्रबंधन समितियों को जरूरी सुविधा मुहैया कराना।
6. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिक्रिया तंत्र प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु संचार स्थानीय भंडारण, खोज एवं बचाव एवं प्राथमिक उपचार के उपकरणों को बेहतर बनाना।
7. आपदा से प्रभावित या प्रभावित होने वाले क्षेत्र में राहत सामग्री और कर्मियों के आने – जाने के लिये वैकल्पिक मार्गो और संचार के साधन को सुनिश्चित करना।
8. बरसाती मौसम शुरू होने से पूर्व नालियों की जांच एवं सफाई करना।
9. सुरक्षित भवन तथा सामुदायिक केन्द्रों को आपात राहत केंद्रों और आपाकालीन आश्रयों हेतु पहचान करना।
10. ग्राम के अर्न्तगत जल –जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था मनरेगा आदि कार्यक्रमों के माध्यमो से सुनिश्चित कराना।
11. शैचालयों का उपयोग बाढ़ के दौरान किया जा सके, इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य कराया जाये।
12. मानसून से पूर्व समस्त मार्क–2 हैण्डपम्प की जांच कर उपयोग में लाया जा सके। यदि हैण्डपम्प मरम्मत संबंधित कार्य जल निगम द्वारा कराया जाने है तो इसकी सूचना (सूची तैयार कर) जल निगम तथा जिलाधिकरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवनों के निर्माण में स्थानीय क्षेत्र की बाढ़ व अन्य आपदाओं के अनुसार आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्राक्लन तैयार कर संसाधन उपलब्ध कराये जाने हेतु नियमानुसार मांग प्रेषित करें।

आपदा प्रबंधन में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका

1. राज्य, जिला, तहसील, ब्लाक और गांव स्तर पर स्वास्थ्य की तैयारियों का आकलन करना।
2. प्रशिक्षित कर्मियों, प्रशिक्षण सुविधाओं एवं संचार प्रणालियों से युक्त सचल चिकित्सा का गठन करना।
3. बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों के आपातकालीन स्थिति में शिविर हेतु सुरक्षित स्थान का चिन्हिकरण करना।
4. संक्रामक रोगों को फैलने वाले क्षेत्रों का पहचान करना तथा उसकी रोकथाम के लिए प्रबंध करना।
5. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समुदाय को बाढ़ के उपरान्त (क्या करें क्या ना करें) प्रशिक्षण देना और उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
6. गांव के आपदा प्रबंधन समितियों और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को प्रशिक्षिण देना।
7. आपातकालीन स्थिति में उपयोगी जनरेटर की अस्पतालों में व्यवस्था करना।
8. उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार करना तथा विभागीय वाहनों की मरम्मत करवाना जिसकी आवश्यकता आपातकालीन स्थिति में घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में हो सकती है।
9. निजि स्वास्थ्य सुविधाओं की सुची तैयार करना, उनसे संपर्क स्थापित करना। तथा उन्हे अपना संपर्क नम्बर उपलब्ध कराना।
10. प्राथमिक चिकित्सा केंन्द्रों को प्रबल व उन्नती बनाने के लिए पैरा–पेशेवरों के साथ सम्पर्क स्थापित करना व आपातकालीन स्थिति में उनसे सहयोग लेना।
11. आपदा से पूर्व आवश्यक दवाइयों को इंतजाम करना तथा उन्हे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
12. आपातकालीन स्थिति में कार्य करने वाले चिकित्सक0 ,स्टाफ व संबंधित अधिकारियों का संपर्क नम्बर समुदाय को ग्राम प्रधानों के द्वारा उपलब्ध कराना।
13. संभावित आपदा वाले क्षेत्रों में मानसून से पूर्व टिकाकरण करना।
14. पानी की शुद्धता हेतु क्लोरिन का विवरण तथा प्रयोग विधि बताना।
15. उल्टी दस्त में ओ0आर0एस0 का उपयोग बताना तथा पैकेट समुदाय को उपलब्ध कराना।
16. प्राथमिक उपचार किट बनाने का समुदाय को प्रशिक्षण देना।
17. पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 के सम्पर्क मार्गो को मानसून से पूर्व ठीक कराने हेतु संबंधित विभाग एवं जिला अधिकारी को सूचित करें।
18. पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 पर दवायें उचित एवं सुरक्षित स्थानों पर रखा जाये।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19. स्थानीय स्तर पर होने वाले रोगों का Trend Analysis exercise कर पहचान करना एवं दवाइयां की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
20. मौसम/जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही नई बीमारियों के अनुसार उनके रोकथाम हेतु तैयारियां सुनिश्चित करें ।

चेक लिस्ट

1. क्या आवश्क दवाइयों का भंडारण कर लिय गया है ?
2. क्या आपात स्थिति में कार्य करने वाले स्वास्थ्य समूहों का गठन किया जा चुका है ?
3. क्या शिविर हेतु सुरक्षित स्थान का चिन्हीकरण किया जा चुका है ?
4. क्या शिविर तथ बाढ़ प्रभावित गावों का संपर्क सूत्र ग्राम प्रधान व समुदाय को उपलब्ध कराया जा चुका है ?
5. क्या संबंधित चिकित्सक व स्टाफ का संपर्क सूत्र ग्राम प्रधान व समुदाय को उपलब्ध कराया जा चुका है ?
6. क्या पी0एच0सी/सी0एच0सी0 पर उपलब्ध संसाधनों के वर्तमान स्थिति की जांच कर उपयोग हेतु सुनिश्चित कर लिया गया है ।
7. क्या वी0एच0एस0सी0 को ग्राम स्तर पर आपदा के पूर्व/दौरान/पश्चात्/ अपना योगदान देने हेतु ग्राम स्तर पर बैठक आयेजित कर ली गयी है ?

आपदा प्रबंधन में पशुपालन विभाग की भूमिका

1. छोटे –बड़े जानवारों की श्रेणी के साथ ब्लाक, तहसील व जिला स्तर पर सूची तैयार करना।
2. ब्लाक तथा जिला स्तर आपताकालीन समय के लिये पशु चिकित्सक की सूची तैयार करना तथा संबंधित चिकित्सक का संपर्क सूत्र समुदाय तक पहुॅचाना।
3. आपातकालीन स्थिति के लिए आवश्यक दवाइयों तथा चिकित्सा उपकरणों को खरीदना तथा सुरक्षित स्थान पर एकत्र करना।
4. तहसील, ब्लांक तथा ग्राम स्तर पर सुरक्षित स्थान का चिन्हीकरण तथा वहां पर इवाइयां व चिकित्सक की उपस्थिति का सूची बनाना।
5. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार करना तथा विभागीय वाहनों की मरम्मत करवाना जिनकी आवश्यकता घायल जानवरों को सुरक्षित स्थान (शिविर) या अस्पताल पहुंचाने में हो सकती है।
6. सुरक्षित स्थान या शिविर तक पहुॅचाने के रास्ते का पहचान करना।
7. पशुओं का बीमा करवाने के लिय लोगों का जागरूक करना।
8. गन्दें तथा प्रदूषित जलाशय से पशुओं में फैलने वाले बीमारी के प्रति जन समुदाय को जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रम का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।
9. असंतुलित भोजन/जलाशयों में अपर्याप्त जल अथवा प्रदूषित जल के कारण बांझपन की बढ़ती घटनाओं के न्यूनीकरण हेतु विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य सुनिश्चित कराया जाना।
10. अतिरिक्त जनरेटरों को पशु अस्पतालों में व सुरक्षित स्थान पर ईधन सहित उपलब्धता सुनिश्चित।
11. अधिक से अधिक जानवरों को पशु अस्पताल में रखने की व्यवस्थाा और चारा की व्यवस्था करना।
12. मृत जानवर के प्रबंध का समुदाय के लोगों को प्रशिक्षण देना और खुद भी प्रबंध करना।
13. पशुओं के लिये चारा तथा पानी को सुरक्षित स्थान पर एकत्रित करना।
14. शल्य चिकित्सा के किटो को सुरक्षित स्थान पर एकत्रित करना।
15. लम्बे समय तथा लू, सूखा आपातकाल स्थिति के लिय विभिन्न जल श्रोतों की पहचान जिसका उपयोग जानवरों द्वारा किया जा सके।
16. तहसील, ब्लाक व जिला स्तर पर डाक्टर व स्टाफ का संगठन किया जाना तथा उनकों आपातकालीन स्थिति में सुचारू रूप से कार्य करने का प्रशिक्षण कराना ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

17. डाक्टर तथा संबंधित स्टाफ का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करवाना तथा डाक्टरों के द्वारा समुदाय को आपदा के समय पशुओं के रख–रखाव का प्रशिक्षण देना (मॉकड्रिल)
18. ब्लाक व जिला स्तर पर दवाइयां व चिकित्सक की सूची व सम्पर्क सूत्र को ग्राम प्रधान व अन्य सामुदायिक प्रतिनिधि के द्वारा समुदाय तक पहुॅचाना तथा साथ ही साथ इस सूची को जिला आपदा प्रबंधन केन्द्र को उपलब्ध करायें।
19. आपदा में किये गये कार्य संबंधित डाक्टर व स्टाफ और दवाइयों की खरीद व वितरण का रिकार्ड करने के लिये जिला स्तर पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिये तथा संबंधित व्यक्ति इन रिकार्डो को जिला आपदा प्रबंधन केन्द्र व राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा।
20. अन्य सहयोगी विभागों के सम्पर्क नं0 व उनको अपने संबंधित व्यक्ति के संपर्क नं0 की सूची उपलब्ध कराना तथा आपदा के समय उनका सहयोग करना।
21. बाढ़ आने से एक माह पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण प्रभावित होने वाले गांवों, शिविर स्थल, संबंधित चिकित्सक, स्टाफ को करवाना चाहिये तथा बाढ़ के प्रभाव का संबंधित सदस्यों को जानकारी देनी चाहिये।
22. आपदा के समय चारा की पूर्ति करने वाले कान्ट्रैक्टर का नाम, सम्पर्क सूत्र नं0 और उनकी क्षमता का आकंलन करना तथा उनकों भूसा पहुंचाने के लिये रास्ते का चिन्हीकरण करवाना।
23. चिन्हित आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित आपदा से पूर्व टीकाकरण कराना।
24. आपदा के दौरान पशुओं के देखभाल हेतु क्या करें क्या ना करें डाक्टर व स्टाफ के माध्यम से प्रसारित करना।

चेकलिस्ट

1. क्या पशुओं की सूची तैयार की जा चुकी है?
2. क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सूची तथा क्षेत्र का निरीक्षण किया जा चुका है ?
3. क्या संबंधित चिकित्सक एवं स्टाफ की सूची तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और बाढ़ तथा उसके प्रभाव की जानकारी उन्हें दी जा चुकी है?
4. क्या राहत शिविरों का निरीक्षण तथा सुरक्षित स्थानों का चिन्हिकरण किया जा चुका है ?
5. क्या संबंधित चिकित्सक तथा स्टाफ के संपर्क नं0 की सूची समुदाय तथा सहयोगी विभागों को उपलब्ध करायी जा चुकी है ?
6. क्या आवश्यक दवाइयों चिकित्सकीय उपकरणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुॅचाया जा चुका है ?
7. क्या रिकार्ड लिखने व रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जा चुकी है ?
8. क्या मृत जानवर के शव को दफनाने का स्थान तथा दफनाने वाले व्यक्ति का गठन और प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?
9. क्या आवश्यक वाहनों तथा ईंधन का व्यवस्था की जा चुकी है?
10. क्या बाढ़ में जानवरों के रखरखाव का समुदाय को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?
11. क्या विभिन्न जल श्रोतो जिनका उपयोग पशुओं द्वारा किया जा सकता है का चिन्हिकरण किया जा चुका है ?
12. क्या आपातकालीन स्थिति में कार्य करने के लिय सभी संबधित व्यक्तियों तथा समुदाय के बीच मॉकड्रिल किया जा चुका है ?
13. क्या आपदा के दौरान पशुओं के इलाज हेतु इंमरजेन्सी दल किट सहित तैयार कर लिया गया है ?
14. क्या चिन्हित जलाशयों में अत्यधिक गर्मी/सुखा के दौरान जल उपलब्धता हेतु संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर लिया गया है।

आपदा प्रबंधन के परिवहन विभाग की भूमिका

1. आपातकालीन आपॅरेशन के दौरान बचाव दल, प्राथमिक चिकित्सा और राहत सामग्री ले जाने हेतु प्रयोग किये जाने वाली वाहनों की सूची तैयार करना।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. सुरक्षा हेतु नियमों का पालन करना। सुनिश्चित करना की वाहन सुरक्षा मानको का पालन करें।
3. सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाना। जागरूक निर्माण हेतु आई0ई0सी0 (IEC) के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना तथा स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण देना।
4. सुनिश्चित करना कि सुरक्षा नियमों का उचित अनुपालन हो।
5. प्रभावी तैयारियो के तहत परिवहन विभाग के कर्मियों को इमरजेंन्सी के वक्त बातों का भ्रम न हो तथा लागत और समय में सुधार हो
6. राज्य और जिला स्तर पर विभाग में आपदा के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
7. आपदा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करना।
8. विभिन्न क्षेत्रों के लिये टीम तैयार करना।
9. समय–समय पर वाहनों की फिटनेस टेस्ट और रिपोर्टिग करना।
10. आपातकालीन स्थिति में ईंधन भरने हेतु स्टेशनों की पहचान करना।
11. वैकल्पि सुरक्षित मार्गो की पहचान करना तथा उनकी सूची तैयार करना।
12. महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क तथा वैकल्पिक संपर्क और ई0मेल आईडी तैयार करना।
13. आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के साथ पूर्व अनुबंध।
14. आपदा की स्थिति में होने वाले आवश्यकताओं की पूर्व आंकलन मूल्यांकन करना।
15. स्थान के अनुसार विभिन्न वर्गो/प्रकार के उपलब्ध वाहनों की जानकारी रखना।
16. निरंतर मॉकड्रिल करवाना।
17. वाहन अधिग्रहण फार्म पर्याप्त संख्या में तैयार रखना।
18. जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण से समन्वय बनाये रखना।
19. वाहन स्वामियों के साथ बैठक करना।

चेक लिस्ट

1. क्या वाहनों की सूची तैयार कर ली गयी है?
2. क्या विभिन्न क्षेत्रों के लिये टीम तैयार कर ली गयी है ?
3. क्या वाहनों की फिटनेस टेस्ट निरंतर की जा रही है ?
4. क्या आपातकालीन स्थिति में ईधन भरने हेतु स्टेशनों की पहचान कर ली गई है?
5. क्या वैकल्पिक सुरक्षित मार्गो की पहचान कर ली गयी है?
6. क्या ड्राईवरों की टेलीफोन/संपर्क तथा वैकल्पिक संपर्क और ईमेल आईडी की सूची तैयार कर ली गयी है ?
7. क्या अन्य महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क तथा वैकल्पिक संपर्क और ईमेल आईडी की सूची तैयार कर ली गयी है ?
8. क्या ईंधन आपूर्ति संस्थाओं से समन्वय कर लिया गया है?
9. क्या आपातकालीन स्थितियों हेतु रिजर्व वाहनों की पहचान कर ली गयी है?

आपदा प्रबंधन में पुलिस विभाग की भूमिका

1. राज्य, जिला, तहसील, ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर खोज, बचाव एवं निकासी दल का गठन करना जिसकी संख्या कम से कम 10 सदस्य की होनी चाहिए ।
2. खोज, बचाव और निकासी दल को आपातकालीन स्थिति में कार्य हेतु प्रशिक्षित करवाना एवं नियमित रूप से उनका अभ्यास करवाना। दल का अभ्यास वर्ष में तीन बार अवश्य होना चाहिए।
3. आपदा (बाढ़) की दृष्टि से जरूरी उपकरणों की सूची तैयार करना और इस सूची को राज्य आपदा प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबन्धन केन्द्र को भेजना।
4. आपदा (बाढ़) दृष्टि से आवश्यक उपकरणों का इन्तजाम करना, पहले से उपस्थित उपकरणों का रखरखाव एवं आधुनिकरण करवाना तथा उपकरणों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहले से पहुॅचाना।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5. सभी उपकरण ,संचार उपकरण एवं वायरलेस नियमित रूप से कार्य कर रहे है सुनिश्चित करना तथा संचार उपकरण को संचालित करने का सभी के व्यक्ति को जानकारी देना तथा प्रशिक्षित करना। जो क्षेत्र आपदा से अधिक प्रभावित होते है उनमें अतिरिक्त वायरलेस इकाइयों की तैनाती करना।
6. जिला प्रशासन, जिला नियंत्रक कक्ष, राज्य नियंत्रक कक्ष, सहयोगी विभाग, ग्राम प्रधान के संपर्क सूत्र एवं नम्बर की सूची बनाना तथा उन सभी को अपने विभाग की सूची देना और इन सभी के सम्पर्क में रहना।
7. बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा आपदा के समय उन क्षेत्रों की प्रभावित लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना।
8. यह सुनिश्चित करना की सुरक्षित चिन्हित किये गये स्थल सुरक्षित हैं या नहीं तथा उन स्थानों तक पहुॅचने के रास्ते का चिन्हिकरण।
9. अन्य सहयोगी विभागों (जैसे खाद्य आपूर्ति विभाग/राजस्व) के साथ सहयोग करना तथा उनके वितरण सामानों को सुरक्षा प्रदान करना।
10. सम्प्रदायिक संवेदनशील क्षेत्रों का पहचान करना तथा आपदा के समय उन्हे सुरक्षा मुहैया कराना।
11. निरीक्षण के लिए राज्य स्तर पर सदस्यों का गठन करना।
12. मृत व्यक्ति के शव को सुरक्षित स्थान (अस्पताल) तक पहुॅचाना तथा उनका पहचान करवाना और उनके अन्तिम संस्कार (unclaimed body) के लिए इन्तजाम करना।
13. राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर पर एक अधिकारी नियुक्त किया जायेगा जो कि Media को समय –समय पर संबंधित जानकारी उपलब्ध करायेगा।
14. बाढ़ आने से एक महीना पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण तथा प्रभावित होने वाले गावों तथा उनके प्रभाव की विभाग के सम्बन्धित सदस्यों को जानकारी देना।
15. VIPs के प्रभावित क्षेत्रों में आने पर उनके सुरक्षा का इन्तजाम करना तथा उनको सुरक्षित स्थान तक पहुॅचाना।
16. ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तर पर किये जाने वाले कार्यों तथा सम्बन्धित सदस्यों का रिकार्ड बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति की नियुक्ति करना जो कि सभी रिकार्डो को SDMA तक पहुंचायेगा।
17. समुदायिक रेडियो (हैम रेडियो) को बढ़ावा देना तथा हैम रेडियो का प्रशिक्षण आयोजित करना।

चेक लिस्ट

1. क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आंकलन कर लिया गया है?
2. कितनी आबादी या क्षेत्र खतरे में आ सकते है उन्हें चिहिन्त कर लिया गया है?
3. क्या इसकी सूची बना ली गयी है और सम्बंधित को अलर्टनेस हेतु जानकारी दे दी गयी है?
4. क्या जिले स्तर पर आपदा प्रबन्धन समिति (खोज, बचाव व निकासी) दल का गठन किया जा चुका है?
5. क्या ब्लाक स्तर पर आपदा प्रबन्धन समिति (खोज, बचाव व निकासी और प्राथमिक उपचार) दल का गठन किया जा चुका है?
6. यदि हॉ तो क्या इन दलों का प्रशिक्षण व बैठक किया जा चुका है?
7. क्या सुरक्षा दल की जानकारी तथा उनसे सम्बंधित व्यक्ति की जानकारी व फोन नम्बर समुदाय को उपलब्ध कराया जा चुका है?
8. क्या अतिसंवेदनशील चिन्हित क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन के अनुरूप बाढ़ से पूर्व बाढ़ से रक्षा हेतु मॉकड्रिल करायी गयी है?
9. क्या राहत शिवरों का निरीक्षण तथा उसकी सुरक्षा का इन्तजाम किया जा चुका है?
10. क्या जलमग्न क्षेत्रों में खोज एवं बचाव दल के संचरण का व्यवस्था (नाव, मोटर, बोट, आदि) की जा चुकी है?
11. क्या मल्लाहों/नाविकों की सूची फोन नं0 सहित तैयार कर ली गयी है। तथा उनकी सेवायें हेतु मल्लाहों को जानकारी दे दी गयी है?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

12. बचाव सम्बन्धि उपकरणों, राहत शिविर सम्बंधित उपकरणों जिनकी दरें राज्य सरकार द्वारा नियत नहीं है उनके प्रक्योरमेन्ट हेतु क्या पूर्व से दरें क्रय नियम के अनुरूप नियत करने सम्बन्धित कार्यवाही कर ली गयी है?
13. क्या तहसील, ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तर पर आपदा नोडल अधिकारी का चयन किया जा चुका है? तथा उसकी जानकारी तथा सम्पर्क नं0 जिला व राज्य आपदा प्राधिकरण को दिया जा चुका है?
14. क्या बाढ़ सम्बन्धित पूर्व चेतावनी को प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रसार हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाऐं कर ली गयी है?
15. क्या शव को सुरक्षित रखने का इन्तजाम किया जा चुका है? और शव को लाने व ले जाने वाले व्यक्ति व वाहन का इन्तजाम किय जा चुका है?
16. क्या सहयोगी विभाग के सम्बन्धित अधिकारी का संपर्क सूत्र व उनके द्वारा मॉगे गये अतिरिक्त सुरक्षा या सहयोग का इन्तजाम किय जा चुका है?

आपदा प्रबंधन में सिविल डिफेन्स की भूमिका

1. नागरिक सुरक्षा कर्मियों के कौशल में सुधार के लिए प्राथमिक चिकित्सा, खोज बचाव और निकासी पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। वर्ष में तीन बार अभ्यास (मॉकड्रिल) कार्यक्रम की व्यवस्था करना।
2. प्रमुख आपदा जैसे बाढ़ सूखा के लिए प्राथमिक चिकित्सा, खोज बचाव और निकासी सेवा योजना की तैयारी करना एवं उसका कार्यन्वयन करना ।
3. भूकम्प नूकसान जोखिम क्षेत्र चतुर्थ एवं तृतीया (Earthquake Damage Risk Zone IV & III) में वार्ड ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति एवं एन0जी0ओ0 के सदस्यों को प्राथमिक उपचार, खोज बचाव एवं निकासी पर प्रशिक्षण देना।
4. सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों/संस्थानों के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण आदि कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित हों।
5. कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों को चिन्हित कर आपात काल हेतु सुरक्षित रखना।

आपदा प्रबंधन में सिचांई विभाग की भूमिका

1. उपलब्ध वाहनों एवं जरूरी उपकरणों की सूची तैयार करना साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्य नजदीक किसी क्षेत्र में हो रहा है तो उसके वाहनों एवं उपकरणों की सूची तैयार करना।
2. सरकारी एवं निजी ठेकेदारों के पास उपलब्ध वाहनों एवं जरूरी उपकरणों की सूची तैयार करना।
3. बाढ़ प्रभावित नदियों की पहचान करना एवं उसके तटबंधों का स्थलीय निरीक्षण करना अगर कहीं तटबंध में रेनकट, रैटहोल या अत्याधिक गर्मी होने के कारण उसमे दरार आ गई हो तो उसे मजबूती प्रदान करना एवं उसकी मरम्मत करना। ऐसे क्षेत्रों के लिए आपाकालीन प्रतिक्रिया योजना का निर्माण करना।
4. ऐसे महत्वपूर्ण उपकरणों क पहचान एवं उसका संचय करना जिसकी जरूरत आपातकालीन प्रतिक्रिया के समय तटबंधों के रख रखाव के लिए आवश्यक होती है।
5. तटबंधों के दरारों को बन्द करने के लिए पहले से ही रेत की थैली एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का संचय करके रखना चाहिए।
6. जॉच सूची एवं आकस्मिक योजना का निमार्ण।
7. एक योजना तैयार किया जाये जिसके तहत सभी उपकरणों की जल्द से जल्द एकत्रित किया जाये एवं उसका क्रियाशील किया जाए।
8. ग्राम स्तर पर गठित बाढ़ सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित कर जिला प्रशासन को सूचित किया जाये।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

9. बन्धों पर तैनात समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल नं0 जिला/तहसील/ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो।
10. बन्धों पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था हो।
11. निरंतर जिला/तहसील/ब्लाक स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें।

आपदा प्रबंधन में पब्लिक डिपार्टमेन्ट की भूमिका

1. उपलब्ध वाहनों एवं जरूरी उपकरणों की सूची तैयार करना साथ –साथ अगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्य नजदीक किसी क्षेत्र में हो रहा है तो उसके वाहनों एवं उपकरणों की सूची तैयार करना।
2. सरकारी एवं निजी ठेकेदारों के पास उपलब्ध वाहनों एवं जरूरी उपकरणों की सूची तैयार करना।
3. एक योजना तैयार किया जाए जिसके तहत इन सारी उपकरणों की जल्द से जल्द एकत्रित किया जाए एवं उसका कार्यान्वयन किया जाए।
4. सड़क,इपुल सार्वजनिक उपयोगिता के साधन और इमारतों का निरीक्षण एवं उसका आपातकालीन मरम्मत की व्यवस्था का उपाय करना।
5. सड़कों के निर्माण के दौरान अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सके इसका उचित प्रबंधन सुनिश्चित हो।
6. असमय वर्षा/भारी से अधिक भारी वर्षा होने के कारण निर्माण कार्यो की रूप–रेखा एवं कार्य उपरोक्त के दृष्टिगत किया जाये।

आपदा प्रबंधन में विद्युत विभाग की भूमिका

1. आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिय आवश्यक सामग्री एवं उपकरण किट बनाना।
2. बिजली मिस्त्री को शिक्षित करना और उनके लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि बिजली के अधिष्ठापन और उपकरणों के लिये अपनायें जाने वाले न्यूनतम सुरक्षा मानकों से वो अवगत हो।
4. बिजली के सामान और बिजली के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नियमों और सुरक्षा उपायों का विकास करना।
5. आपात योजना का निर्माण करना जो यह सुनिश्चित करें कि आपदा के दौरान बिजली की आपूर्ति की जा सके और जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति की पुर्नस्थापना हो सके।
6. बिजली लाइन निकासी के लिये एक नियम विकसित करना और उसे क्रियात्मक रूप में लाना चाहिये जिसे बिजली के तार गिरने से जो मृत्यु होती है उससे बचा जा सके।
7. उच्च क्षमता केबल टावरों को मजबूत किया जाये जो उच्च हवा की गति, बाढ़, भूकम्प आदि के समय में भी खड़ा रह सके। बिजली के अधिष्ठानों का आधुनीकरण किया जाये।
8. बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाये जिससे प्राकृतिक आपदा के समय कम से कम नुकसान हो सके।
9. सार्वजनिक एवं उद्योग में जागरूकता अभियान का संचालन सामुदायिक करना चाहिये जिससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

आपदा प्रबंधन में पूर्ति विभाग की भूमिका

1. उचित स्थान पर खाद्यय वस्तुओं के भण्डारण हेतु गोदामों का चिन्हिकरण, निर्माण एवं उसका रख रखाव करना।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. मानसून के मौसम से पूर्व जरूरी खाद्यय वस्तुओं का भण्डारण करना और इसकी सूची राज्य एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजना। जरूरी वस्तुओं को भण्डारण राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ग्राम स्तर पर होना चाहिए।
3. गोदामों में उपस्थित खाद्यय एवं राहत सामग्री को क्षतिग्रस्त, नंगी विद्युत तारों ,चूहों, कीटो और फफूंद के प्रभाव से बचाने हेतु उचित उपाय करना।
4. सभी गोदामों में खाद्यय पदार्थ रखने कि क्षमता का आंकलन करना एवं केन्द्रीय गोदाम से इसकी दूरी तय करना।
5. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उपस्थित सार्वजनिक वितरण की दुकानों को चिन्हित करना एवं इसमें खाद्यय सामग्री भण्डारण के क्षमता का भी पता लगाना।
6. सार्वजनिक वितरण की दुकान से गोदामों की दूरी सुनिश्चित करना।
7. प्रधान सचिव (खाद्यय एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी होगें और उनके अनुपस्थिति में आयुक्त (खाद्यय) जिम्मेदार होगे।
8. जिला आपूर्ति अधिकारी जिला स्तर पर खाद्यय आपूर्ति के प्रभारी होंगे और उनके अनुपस्थिति पर जिला खाद्यय एवं विपणन के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
9. मुख्य विपणन अधिकारी खाद्यय पदार्थ को गोदाम से प्रभावित क्षेत्र तक पँहुचाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
10. परिवहन के संभावित साधनों (ट्रक, ट्रेक्टर, मिनी ट्रक, पिकप और रेलवे) को चिन्हित करना एवं जिला और डिविजन स्तर पर ARTO की मदद से सूची बनाना।
11. जिला विपणन अधिकारी जिला स्तर पर खाद्यय आपूर्ति वितरण में भोजन की गुणवत्ता की निगरानी करेगा।
12. ग्रामीण स्तर पर अनाज और बैंक की स्थापना की जाय जिससे बाढ़ के समय में खाद्यय पदार्थो की आपूर्ति जल्द से जल्द कि जा सकें।
13. आपदा राहत निधि के अनुसार प्रति व्यस्क/अव्यस्क को दी जाने वाली राहत धनराशि के अनुसार Menu पूर्व से ही तैयार कराना सुनिश्चित करें।
14. तहसील/ब्लाक स्तर पर भण्डारण केन्द्रों की वर्तमान स्थिति का आंकलन कर भण्डारण का कार्य सुनिश्चित करें।
15. जिले/तहसील स्तर पर सक्षम व्यापारियों/सप्लायर्स को चिन्हित करें, जिससे की आपात काल में सहयोग लिया जा सके।
16. जिले/तहसील स्तर पर पेट्रोल/डीजल पम्प मालिकों को चिन्हित कर आपात स्थिति हेतु ईधन की उपलब्धता कराना सुनिश्चित करें।
17. बच्चों/धात्री एवं गर्भवती महिलाओं हेतु खाद्यय सामग्री की व्यवस्था समय से पूर्ण कराने हेतु प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित हो।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक

1. विभाग द्वारा कराये जा रहें या प्रस्तावित विद्यालयों के निर्माण में **भूकम्प रोधि तकनीकी** के साथ–साथ बाढ़ रोधि तकनीकी को समाहित करते हुये शासन स्तर पर नियमानुसार बजट आंवटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।
2. विद्यालय भवन के निर्माण हेतु चयन किये जाने वाले **स्थल ऊँचे तथा सुरक्षित** होने चाहिये।
3. विद्यालयों मे स्थापित **अग्निशमन यंत्रों के संचालन** की जानकारी अध्यापकों के साथ–साथ लेखा विभाग एवं अन्य कर्मचारियों को भी होनी चाहिये।
4. जल निगम एवं पंचायत के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यालय परिसर में स्थापित मार्क–2 हैण्डपम्प की **जल निकासी** की व्यवस्था उचित प्रकार से कराना सुनिश्चित करें।
5. विद्यालयों की **आपदा प्रबन्धन योजना** का निर्माण कर प्रत्येक वर्ष में दो बार **मूक अभ्यास कार्यक्रमों** का आयोजन करना सुनिश्चित करें, जिसमें नागरिक सुरक्षा संगठन/एन0सी0सी0/नेहरू युवा केन्द्र/ स्काउट एण्ड गाईड तथा एन0एस0एस0 का सहयोग प्राप्त करें।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6. विभिन्न प्रकार के आपदाओं से विद्यालय की सम्पत्तियों के हुये **नुक्सान का आंकलन विभाग द्वारा नामित कार्यदायी संस्था के माध्यम से** तैयार किया जाये तथा आंकलन के पश्चात् नियमानुसार राज्य आपदा मोचन निधि अथवा विभागीय बजट से तत्काल बजट आंवटित कराकर शिक्षा कार्य सुचारू रूप से कराना सुनिश्चित करें।
7. बाढ़ आदि आपदाओं के दौरान बच्चों की शिक्षा बाधित न हो इसलिये उचित तथा सुरक्षित स्थलो का चयन सुनिश्चित कर वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था कर लिया जाये।
8. **क्षमता से अधिक एक कक्ष** में विद्यार्थियों को न बैठाया जाये।

कृषि तथा कृषि रक्षा विभागः

1. असमय वर्षा, अत्यधिक ठण्ड एवं भीषण गर्मी के कारण फसलों को काफी नुक्सान पहुँचता है। प्रत्येक मौसम एवं उसमें हो रहें परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये व्यापक कार्य योजना का निर्माण कर शासन को नियमानुसार प्रस्ताव प्रेषित करें।
2. विकास खण्ड स्तर पर स्थित कृषि रक्षा गोदामों में बरसात के समय में प्रायः पानी भर जाता है जिसके कारण बीजों, उर्वरकों एवं यंत्रों को क्षति होने की सम्भावना बढ़ जाती है। इसलिये यह आवश्यक है कि आपके विभाग द्वारा एक कमेटी का गठन कर जिसमें कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को शामील करतें हुये समस्त गोदामों की तत्काल जाँच कर उनके मरम्मत हेतु शासन को नियमानुसार प्रस्ताव प्रेषित करें।
3. खेतों एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में जल जमाव के कारण फसलों को काफी नुक्सान पहुँचता है। इसलिये यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर पंचायत के साथ समन्वय स्थापीत कर इन समस्याओं को दूर करने हेतु रणनीति तैयार कर अपनी विभागीय योजना में शामील करें।
4. असमय बारीश के कारण फसलों का भण्डारण समय से करना उचित प्रतीत होता है। इसलिये अपने विभाग द्वारा आयोजित होने वाले जागरूकता कार्यक्रमों में किसानों को जागरूक करें साथ ही मौसम विभाग द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से भी किसानों को अवगत् कराना सुनिश्चित करें।
5. मनरेगा एवं अन्य विकास की योजनाओं में भूमि संरक्षण हेतु समतलीकरण एवं मेड़बन्दी तथा वर्मी/नाडेप कम्पोस्ट आदि कार्यों को समाहित किया गया है। पंचायत के साथ समन्वय स्थापित कर इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँचाने हेतु रणनीति तैयार कर अपनी योजनाओं में समाहित करें।
6. कृषि/मृदा संरक्षण एवं कृषि रक्षा विभाग के मध्य संमन्वय स्थापित कर कार्य सम्पादित्त किया जाये।

जल निगम

1. पंचायत के साथ समन्वय स्थापित कर मार्क–2 हैण्डपम्प ऊँचे तथा सुरक्षित स्थल पर स्थापित करें जिससे की बाढ़ के दौरान समुदाय को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।
2. बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुये हैण्डपम्प को तत्काल ठीक कराया जायें। साथ ही क्षतिग्रस्त हुये हैण्डपम्पों का आंकलन कर उनके पूर्नस्थापन हेतु एस0डी0आर0एफ0 गाईडलाइन के अनुसार मांग प्रस्तुत करें।
3. चिन्हीत किये गये बाढ़ राहत केन्द्र/शिवीर पर उपलब्ध पेयजल संसाधनों की जाँच मानसून से पूर्व कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि उक्त स्थल पर मार्क–2 हैण्डपम्प नहीं है तो तत्काल नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. जल निकासी सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में आपदा न्यूनीकरण तत्व का समावेश किया जाना सुनिश्चित करें।

नल कूप एवं नहर खण्ड

1. लगातार तथा एक समय में अत्याधिक वर्षा होने के कारण गूलों की मिट्टी हट/कट जाने के कारण सिंचाई व्यवस्था बाधित न हो, इस हेतु पूर्व में तैयारी सुनिश्चित करें।
2. कई स्थानों पर अधिक वर्षा होने के कारण गांव में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे नहर बन्द कर दूसरे क्षेत्रों से निकालना पड़ता है। बाद में सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती है। वर्षा के पश्चात्

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

तत्काल पूर्व की स्थिति सुनिश्चित करने हेतु विभाग स्तर पर कार्य योजना का निर्माण कर जिला एवं राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण को अवगत् करायें।

3. लो वोल्टेज प्राप्त होने के कारण नलकूप अधिक खराब न हो इस हेतु विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. आपदा राहत निधि के अंतर्गत प्रेषित योजनाओं में विभाग द्वारा निमार्ण तथा पुर्नस्थापन का कार्य एक निश्चित समायावधि में किया जाता है का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित हो जिससे की कार्य सम्पादित्त किये जाने हेतु बजट समय से आवंटित किया जा सके।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com